हुक्म या कार्यवाही इनिशियलस जज

18.07-2022 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित आये। बहस सुने काफी समय व्यतीत हो चुका है। वकील अपीलान्ट को पुनः बहस अपील सुनी गई। अपीलान्ट की अपील का निष्कर्ष रहा कि अपीलान्ट के आ० ख० नं० 377/0.63 हैक्टर वाके ग्राम पदमाड़ा कलां तहसील मुण्डावर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 28/06/2004 के विक्रेता धर्मपाल पुत्र गेंदाराम जाति कोली निवासी करनीकोट से खरीद कर मुताबिक बयनामा इन्तकाल दर्ज करने हल्कापटवारी को असल बयनामा दिया जिसके के आधार पर हल्कापटवारी द्वारा बयनामा का इन्तकाल नं० 754 दिनांक 19.8.2004 को दर्ज कर बाद जांच स्वीकार (मंजूर) किया गया। इन्तकाल दर्ज करते समय हल्कापटवारी द्वारा अपीलान्ट का नाम उमरावती के स्थान पर अमरावती दर्ज कर दिया व इसी प्रकार उक्त इन्तकाल स्वीकार (मंजूर) किया गया। जबकि बयनामा में अपीलान्ट का नाम उमरावती दर्ज है और इन्तकाल भी उमरावती के नाम से दर्ज होना चाहिए था अंकित करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार (मंजूर) जाकर इन्तकाल नं० 754 वाके ग्राम पदमाड़ा कलां तहसील मुण्डावर में अंकित अपीलान्ट का नाम अमरावती के स्थान पर उमरावती दर्ज करने के आदेश सादर (मंजूर) जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] की तलबी करायी गई। बाद [illegible] अनुपस्थित रहा।

अपीलान्ट ने अपनी अपील की ताईद में मूल बयनामा दिनांक 28/06/2004 नकल इन्तकाल नं० 754 वाके ग्राम पदमाड़ा कलां तहसील मुण्डावर पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

लगातार--

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj
Date: 2022.10.12 17:59:4
Reason: SelfAttested

......मुण्डावर, जिला अलवर

......किस्म ...... मुकदमा नं० ...... दिनांक ......

| | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

वकील अपीलान्ट की अपील के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट वकील ने निम्नलेखानुसार कथन किया कि आ० ख० नं० 377 वाके ग्राम पदमाड़ा कलां तहसील मुण्डावर को विक्रेता श्यामलाल पुत्र तोताराम अहीर निवासी करनीकोट से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 28/06/2004 को अपीलान्टा ने खरीद किया है एवं बयनामा के अपीलान्टा का नाम उमरावती अंकित है तथा इन्तकाल दर्ज करते समय उमरावती के स्थान पर उमरावली दर्ज कर दिया व इसी प्रकार इन्तकाल नं० 754 वाके ग्राम पदमाड़ा कलां स्वीकार कर दिया गया। जो गलत नाम अंकित हुआ है निवेदन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर जाकर इन्तकाल नं० 754 वाके ग्राम पदमाड़ा कलां तहसील मुण्डावर में अंकित अपीलान्ट का नाम उमरावली के स्थान पर सही नाम उमरावती दर्ज करने के आदेश पारित करवाये जावे।

वकील अपीलान्ट की ध्यान पूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा बयनामा दिनांक 28/06/2004, इन्तकाल संख्या 754 का अवलोकन किया। अवलोकन उपरान्त अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल बयनामा के क्रेता उमरावती नाम के अंकन के अवलोकन उपरान्त यह न्यायालय अपीलान्ट की अपील को स्वीकार योग्य पाता है।

**आदेश**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है एवं इन्तकाल नं० 754 दिनांक 19/08/2004 को अपास्त किया जाता है तथा मुताबिक बयनामा [illegible] अपीलान्टा उमरावती देवी पत्नि रामपत जाति अहीर निवासी करनीकोट के नाम पुनः इन्तकाल [illegible] किये जाने का हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। वास्ते हेतु तहसीलदार मुण्डावर को [illegible] अहकाम जारी हो। पत्रावली नियमित स्वीकार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जमा जिला रिकार्ड [illegible] हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj
Date: 2022.10.12 17:59:45
Reason: SelfAttested